



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052024-254091
CG-DL-E-08052024-254091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1827]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946

No. 1827]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2024

का.आ. 1920(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 887(अ) तारीख 23-02-2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में NH05 के कि.मी. 106.139 से कि.मी.129.05 (सोलन से कैथलीघाट सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13-03-2024 " को "दि इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) और "हिमाचल दस्तक" (हिन्दी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में NH05 के कि.मी. 106.139 से कि.मी.129.05 (सोलन से कैथलीघाट सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: सोलन		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कंडाघाट					
गांव का नाम: मंझोल (62)					
1	1200/1	निजी	घासनी	0.0262	श्रीमति रीना पुत्री श्रीमति कलावती विधवा सन्त लाल स्थानिय वासी 1200/1
Total				0.0262	

[फा. सं. 1108/2/2012/LA/PIU-SML/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2024

S.O.1920(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 887(E) Dated:23-02-2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH05 in the stretch of land from Km. 106.139 to Km. 129.05 (Solan to Kathalighat Section) in the district of SOLAN in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” (English) and “Himachal Dastak” (Hindi) both dated 13-03-2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH05 in the stretch of land from Km. 106.139 to Km. 129.05 (Solan to Kathalighat Section) in the district of SOLAN in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: SOLAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kandaghat					
Village: Manjhol (62)					
1	1200/1	Private	Ghasni	0.0262	Smt. Reena D/o Smt. Kalawati Wd/o Sant Lal local resident 1200/1
Total				0.0262	

[F. No. 1108/2/2012/LA/PIU-SML/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.